

न्यायालय जिना कलक्टर एवं जिना मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकाारी श्री विद्या (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 136/2018 प्रथमा पत्र

उत्तरान

बनाम 1. श्रीमती सुमेटा सेन निवासी नार्दियाँ का
 माहिला, जूनावास, जूनावास स्कूल के पास,
 भीलवाड़ा
 2. श्री कमलेश कुमार सेन निवासी म०न० 110,
 बार्ड न० 26 जूनावास, भीलवाड़ा
 3. श्री बन्धुप्रकाश सेन निवासी म०न० 110,
 बार्ड न० 26 जूनावास, भीलवाड़ा
 4. श्री राजेन्द्र कुमार सेन निवासी म०न० 110,
 बार्ड न० 26 जूनावास, भीलवाड़ा

प्रतिकृत अधिकाारी, मुख्य प्रबन्धक, आई.
 सी.आई.सी.आई. हाउसिंग फाईनेन्स
 कम्पनी लि० शाखा कार्यालय 2 सी
 मधुबनी, मधुबन उदयपुर-313001

—प्रार्थी

प्रथमा पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियाँ का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितः— श्री हरवन्तसिंह—अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 08/08/2018

प्रतिकृत अधिकाारी, मुख्य प्रबन्धक, आई.सी.आई. हाउसिंग फाईनेन्स कम्पनी लि० शाखा कार्यालय 2 सी मधुबनी, मधुबन उदयपुर-313001 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियाँ का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेट में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण के पिता श्री छोटेलाल पिता सीताराम नाई निवासी जूनावास भीलवाड़ा को बार्ड न० 26 में नगर परिषद भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक-प.प.सी./अन्य.रा./966 दिनांक 27.02.2002 को 104.73 वर्गमीटर का मूखण्ड स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के तहत आवंटित किया गया। श्री छोटेलाल की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थीगण छोटेलाल के वारिस हैं। इनमें से अप्रार्थी बन्धुप्रकाश, ललिता व कमलेश पिता स्व०छोटेलाल सेन के द्वारा पत्नीबद्ध हकन्यायानामा दिनांक 08.09.2008 से श्री राजेन्द्र कुमार पिता छोटेलाल सेन निवासी 148 बहेड़िया भवन क पास, बार्ड न० 34 भीलवाड़ा के पक्ष में हकन्याय किए जाने से सम्पूर्ण आवासीय भवन जिसका कुल क्षेत्रफल 104.73 वर्गमीटर का स्वामित्व प्राप्त किया जिसमें भूमि, भवन एवं हवा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं को रकन रखा उक्त आवासीय सम्पत्ति/भवन जो कि अप्रार्थी संख्या 4 के स्वामित्व की होना से रकन रखा गया। अप्रार्थीगण के द्वारा तयशुदा धारा के भूगोचिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भूगोचन नही किया गया।

